दिनांकः 12-09-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त को 12 ग्राम अवैध स्मैक सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व नशे की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11/09/2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गगोह पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान नशा तस्कर **अभियुक्त शोयब उर्फ सोलू पुत्र हनीफ नि0 ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को 12 ग्राम अवैध स्मैक सहित नया कुण्डा से बसी रोड पर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शोयब उर्फ सोलू उपरोक्त के विरुद्व थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 403/24 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्व विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त शोयब उर्फ सोलू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशा करने का आदी हूँ और मेरे पास कोई काम भी नही है। जल्दी पैसा कमाने के लिए हरियाणा से सस्ते दामों में स्मैक ले आता हूँ और अपने आस पास घूम फिर कर नशा करने वालो को बेचकर अपनी नशे की जरूरत को पूरा कर लेता हूँ साथ ही अच्छी कमाई भी हो जाती हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शोयब उर्फ सोलू पुत्र हनीफ नि0 ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

12 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 382 सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 409 नरेन्द्र यादव थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 346 हरेन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 12.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त शहजाद पुत्र शकील निवासी नकुड रोड कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वादं संख्या 1123/24 मु0अ0स0 310/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शहजाद पुत्र शकील निवासी नकुड रोड कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. है0का0 71 प्रदीप कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 1997 विनीत थाना सरसावा सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:12.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो पिकअप गाड़ी, 02 रास गौवंश व गौकशी के उपकरण (02 छुरी, 01 दाव लोहे का, 02 रस्से व 01 लकड़ी का गट्टा) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे गौकशी की घटनाओं की रोकथाम व गौकश अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राकधकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 11.09.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गौकश **अभियुक्त पंकज पुत्र कुक्कू निवासी शिव मन्दिर के पास मानकमऊ थान कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को जंगल ग्राम नसरूल्लागढ़ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक बोलेरो पिकअप गाड़ी UP11CT5442, 02 रास गौवंश, 02 छुरी, 01 दाव लोहा, 02 रस्से व एक गट्टा लकड़ी का बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 319/24 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का बयानः- अभियुक्त पंकज उपरोक्त ने बताया कि मैं पढा लिखा नही हूँ और नशे का आदी हूँ। मुझसे जो पिकअप गाड़ी मिली है वह मेरी है जिसमें मै और मेरे दो अन्य साथी दो गौवंशो को जमुना खादर हरियाणा क्षेत्र से पकड़कर काटने के लिए पिकअप गाड़ी में लादकर सकरौढ़ा गांव में ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

पंकज पुत्र कुक्कू निवासी शिव मन्दिर के पास मानकमऊ थान कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- एक बोलेरो पिकअप गाड़ी UP11CT5442
- 02 रास गौवंश
- 02 छुरी
- 01 दाव लोहा
- 02 रस्से व एक गट्टा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विवेक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 486 जावेद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 2434 मनीष थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 2245 अंशु थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांकः12.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त महमूद पुत्र मन्जूर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 510/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर मा0 न्यायालय जे0एम0-2 व वाद सं0 3353/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर न्यायालय जे0एम-2 में ग्राम मिर्जापुर पोल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

महमूद पुत्र मन्जूर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. का0 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 12.09.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी के मुकदमें में वांछित चल रहे 04 शातिर गौकश अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2024 को वादी उ0नि0 श्री यशपाल सिंह की लिखित सूचना कासमपुर से जाने वाले रास्ते टाण्डा पुल के पास रजवाहा से दो गौवंश पशुओ के सिर व 01 गौवंश की पूछ मिलने की सूचना के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0-96/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में संलिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा गौकशी के मुकदमें में वांछित चल रहे 04 वांछित **अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ युनूस पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर, 2. साजिद पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 3. साजिद पुत्र मन्जूरा व 4. शोयब पुत्र साजिद उर्फ शाकिर निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को खारा पावर हाउस से हथनीकुण्ड की तरफ करीब 100 कदम की दूरी पर समय करीब 00.45 बजे गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि तारीख याद नही है लेकिन हम सब ने पैसो के लालच में कासमपुर गांव से जाने वाले रास्ते टाण्डा पुल के पास रजवाहा जंगल में गौकशी की थी और मांस लेकर वहाँ से चले गये थे। मांस को हम लोगो ने मुस्लिम बस्तियों में बेच दिया था। मांस बेचकर जो रूपये आये थे उनको हम लोगो ने आपस में बराबर बाँट लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सोनू उर्फ युनूस पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. साजिद पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. साजिद पुत्र मन्जूरा निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. शोयब पुत्र साजिद उर्फ शाकिर निवासी ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नवीन कुमार सैनी थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 847 धर्मेन्द्र कुमार मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
5. का0 1365 मंजीत सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
6. का0 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
7. का0 2543 सोनू कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 12.09.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 02 दिन में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.2024 को वादी की लिखित सूचना बावत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती हाथ पकडकर गलत नियत से छेडखानी करने व जान से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 317/24 धारा 76/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.09.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के छेड़छाड़ के मुकदमें में त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित **अभियुक्त टिंकुल पुत्र प्रकाश ग्राम सिरसका थाना नकुड जिला सहारनपुर** को ग्राम सिरसका से कुल्हेडी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

टिंकुल पुत्र प्रकाश ग्राम सिरसका थाना नकुड जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. म0उ0नि0 अंजू सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक: **12.09.2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से छेडछाड व मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. उसामा पुत्र असगर नि0 ग्राम बचीटी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर, 2. असगर पुत्र अली मौहम्मद नि0 ग्राम बचीटी थाना देवबन्द सहारनपुर व 3. सलमान पुत्र असगर नि0 ग्राम बचीटी थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ बदनीयती से छेडछाड कर मारपीट करने तथा वादिया के साथ भी गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 473/2024 धारा 115/352/351(3)/333/75 बी0एन0एस0 व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 12.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट के मामलें में वांछित **अभियुक्त उसामा उर्फ ओसामा पुत्र असगर नि0 ग्राम बचीटी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को साखन नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर संमय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

उसामा पुत्र असगर नि0 ग्राम बचीटी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 528 बिट्टू थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. का0 1830 शुभम सिह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 12.09.2024

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-प्रथम द्वारा दहेज हत्या में दोषी पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2018 को वादी श्री रामकुमार पुत्र मामचन्द निवासी अनन्तमऊ थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.नरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश 2.अमित पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण कल्याणपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ मारपीट करना व दहेज की मांग करना दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 393/18 धारा 498ए,304बी,323 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध एक्ट थाना सरसावा पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 842/2018 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी -1 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनीटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी- प्रथम सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 12.09.2024 को अभियुक्त **नरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश निवासी कल्याणपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0 393/2018 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध एक्ट में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट -अभियुक्त अमित पुत्र ओमप्रकाश को दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी
विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री यतेन्द्र नागर
पैरोकार का0 104 सलमान